संख्या-6/20171440/60-1-17-1/3(40)/14

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 11 अगस्त, 2017**

विषयः- आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल गृह (बालक/बालिका) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वैच्छिक संगठन ''मॉ काली सेवा संस्थान'', गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुरखीरी द्वारा जनपद-लखीमपुरखीरी में संचालित बाल गृह (बालक) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम किश्त (माह अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक) की सहायता अनुदान अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-398/म0क0निदे0/ प्रोबे0-89(2)/स्वै0सं0/2017-18, दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वैच्छिक संस्था को रू0 6,11,190/- (रू0 छः लाख ग्यारह हजार एक सौ नब्बे मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त (माह अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक) वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	**मानक मद**	**प्राविधान (धनराशि हजार में)**	**प्रस्तावित (धनराशि रूपये में)**
1.	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	700000	रू0 6,11,190/- (रू0 छः लाख ग्यारह हजार एक सौ नब्बे मात्र)
	कुल योग	700000	रू0 6,11,190/- (रू0 छः लाख ग्यारह हजार एक सौ नब्बे मात्र)

2- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाषीर्शक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-17-स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के060/रा0 30/स्वै010-के0+रा0+स्वै0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण उक्त संस्था को निदेशालय महिला कल्याण के माध्यम से किया जायेगा। पूर्व स्वीकृत धनराशि तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत गठित जिला स्तरीय मानिटरिंग कमेटी से जाॅच रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये। जहॉ सोशल आडिट नहीं हुआ है, कम से कम जिला मानिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-1-02/दस- 2017-231, दिनांक 02.01.2017 के अनुसार किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या-6/2017/1440(1)/60-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
5- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।